न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 14 / 2016 अपील / बासंवाड़ा
पंजीयन दिनांक– 04.08.2016
निर्णय दिनांक– 16.05.2019

1. श्रीमती चोकली पत्नी श्री पेमला भील निवासी चोरवड़ तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा
2. श्री तेरू पिता श्री लिम्बा भील निवासी चोरवड़ तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा
3. श्री रामचन्द्र पिता श्री लिम्बा भील निवासी चोरवड़ तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती मसरू पत्नी स्व. श्री दोलजी भील निवासी चोरवड़ तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा
2. श्रीमती कमतु पुत्री श्री दोलजी पत्नी श्री जग्गु भील निवासी तलावड़ा तहसील थांदला जिला झाबुआ (म0प्र0)
3. ग्राम पंचायत महुड़ा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत महुड़ा तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :
श्री सत्य प्रकाश व्यास : अधिवक्ता अपीलान्ट्स
श्री गिरीशपुरी गोस्वामी : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1

अपील अन्तर्गत धारा 7 (सी) राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ़
के प्रकरण संख्या 01 / 2012 निर्णय दिनांक 11.07.2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक–16.05.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–76 (सी) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ़ के प्रकरण संख्या 01/2012 निर्णय दिनांक 11.07.2016 के विरूद्ध दिनांक 03.08.2016 को पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चोरवड़ तहसील कुशलगढ़ में श्री दोलजी पिता माना भील की मृत्यु होने के पश्चात् उनके खाते की भूमि विरासत से उनकी पुत्री रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्रीमती कमतु के नाम दर्ज नामान्तरकरण संख्या 682 निर्णय दिनांक 20.04.2012 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्रीमती मसरू पत्नी स्व. श्री दोलजी ने अधीनस्थ न्यायालय में विरासत में उसका नाम दर्ज होने से अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा उन्हें भी पक्षकारान बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 एवं सहपठित आदेश 1 नियम 10 व्य0प्र0सं0 का प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2016 के द्वारा बेवा का नाम जोडने से रह गया लिहाजा वाद वादी स्वीकार किया जाकर तद्नुसार डिक्री जारी हो आदेश जारी किये गये।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सत्य प्रकाश व्यास व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री गिरीशपुरी गोस्वामी उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 , 3 व 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 अन्यथा भी औपचारिक पक्षकार है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी प्रति रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता को दिलाई गई। उभय पक्ष अधिवक्ताओं की प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी एवं मूल पत्रावली पर बहस दिनांक 02.05.2019 को सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपनी बहस में बताया कि स्व0 श्री दोलजी की मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नी श्रीमती मसरू रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मध्यप्रदेश में श्री मानजी पिता वागजी से पुनर्विवाह (नाता) कर लिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 कमतु की परवरिश उसके मामा परिवार द्वारा की गई। इन परिस्थितियों में स्वर्गीय दोलजी की विवादग्रस्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 682 से श्रीमती कमतु के नाम दर्ज की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से उक्त भूमि अपीलान्ट्स द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में स्व0 दोलजी की विधवा होने से उसका नाम दर्ज करने हेतु नामान्तरकरण संख्या 682 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील दिनांक 11.09.2012 को दर्ज हुई एवं अपीलान्ट्स को इसकी जानकारी होने पर उनके द्वारा दिनांक 21.11.2012 को अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें भी हितबद्ध पक्षकार होने से आदेश 1 नियम 10 के तहत पक्षकार बनाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में तारीख पेशी दी जाती रही। अन्तिम पेशी दिनांक 12.04.2016 को हुई जिसमें पत्रावली दिनांक 13.06.2016 को पेश होने के आदेश दिये गये, किन्तु दिनांक 13.06.2016 को पत्रावली को सुनवाई में लिया ही नही गया इसकी कोई आदेशिका पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं इसके बजाय दिनांक 11.07.2016 को यह पत्रावली न्याय आपके द्वारा 2016 कार्यक्रम में पेश हुई एवं उसी दिन निर्णित कर आदेश दिया गया कि न्याय आपके द्वार 2016 केम्प महुड़ा पत्रावली आज मजमे आम में प्रस्तुत हुई। बेवा का नाम जोड़ने से रह गया लिहाजा वाद वादी स्वीकार किया जाता है तद्नुसार डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के तयशुदा तारीख 13.06.2016 को होने वाली सुनवाई को केन्सल कर दिया ओर दिनांक 11.07.2016 को यह पत्रावली न्याय आपके द्वारा 2016 कार्यक्रम स्थल पर ले जाई गई, जबकि इसके लिए दोनों में से किसी भी पक्षकार द्वारा निवेदन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलान्ट्स को सुने तथा उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 का निस्तारण किये बिना अपील को वाद में परिवर्तित करते हुए केम्प में निस्तारित कर दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय का खुला उल्लंघन किया गया है। एक पेशियों में चल रही रेगुलर पत्रावली को अवैधानिक तरीके से न्यायालय परिसर से बाहर ले जाकर विधि विरूद्ध तरीके से निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु पर भी कोई आदेश पारित नहीं किया गया है एवं अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 पेण्डिंग होते हुए उसका निस्तारण किये बिना, प्रकरण को

अपील से वाद में परिवर्तित करते हुए विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अतः प्रकरण में उन्हें पक्षकार बनाते हुए अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें एवं उपरोक्त तथ्यों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के विधि विरूद्ध निर्णय को अपास्त करने के आदेश प्रदान फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि मृतक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्व. दोलजी की विधवा है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 उसकी पुत्री। मृतक की भूमि का विरासत से नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 दोनों के नाम खुलना चाहिये था, किन्तु नामान्तरकरण संख्या 682 में उसके नाम को शामिल नहीं कर केवल पुत्री रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम स्वीकृत कर दिया गया, जो पूर्ण रूप से गलत है। मृतक की विधवा का भी उक्त विवादग्रस्त भूमि में बराबर का हक व अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसका नाम भी नामान्तरकरण में जोड़े जाने हेतु पारित आदेश विधि अनुकूल है। अपीलान्ट की ओर से धारा 96 जा.दी. के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का प्रश्न है तो इसको स्वीकार किये जाने में उसे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। न्यायालय यह भी देखे कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत होने के दो–तीन दिन बाद ही अपीलान्ट्स के नाम पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया गया। इस प्रकार जानबुझकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम नामान्तरकरण में छोड़कर राजस्व स्टाफ एवं ग्राम पंचायत ने मिली भगत कर अवैधानिक रूप से उसके हिस्से की भूमि का भी विक्रय करा दिया गया। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम भी नामान्तरकरण में जोड़ा जावें।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन किया। सर्वप्रथम हम प्रकरण में दफा 96 जा. दी. के आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट आवेदक द्वारा दिनांक 21.11.2012 को आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का आवेदन पेश कर दिया था। उक्त आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं दिया तथा प्रकरण में यह भी सुस्पष्ट है कि प्रकरण दायरी से पूर्व ही अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमियां क्रय की जा चुकी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार को सुने बिना एवं उसके लम्बित आवेदन का निर्णय किये बिना निर्णय पारित किया है। अतः अपीलान्ट को आवश्यक हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार मानते हुए

Web Copy - Not Official

अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुज्ञा देते हुए दफा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

प्रकरण में यह भी सुस्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दायरी वर्ष 2012 से लेकर दिनांक 12.04.2016 तक बिना किसी कार्यवाही के लम्बित रहा है। इस दौरान दिनांक 21.11.2012 को अपीलान्ट का आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का आवेदन भी प्रस्तुत हुआ है जो भी अनिर्णित रहा है। दिनांक 12.04.2016 की नियत पेशी पर आगामी पेशी दिनांक 13.06.2016 नियत की गई है, परन्तु नियत दिनांक को पत्रावली प्रस्तुत ही नहीं होकर पक्षकारों को सूचना दिये बिना प्रकरण लोक अदालत में दिनांक 11.07.2016 को पेश होकर निम्नानुसार निर्णय किया गया है–

" न्याय आपके द्वार 2016 केम्प महुड़ा

11.07.2016– पत्रावली आज मजमे आम में प्रस्तुत हुई। बेवा का नाम जोड़ने से रह गया लिहाजा वाद वादी स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। "

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह निर्णय नियत तिथि से पृथक जाकर पक्षकारों को सूचित किये बिना, सुने बिना, अपील को वाद मानकर, बिना साक्ष्य सबूतों का विवेचन किये, विधिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध, अपीलान्ट के आवेदन पर निर्णय किये बिना एवं डिक्री जारी करते हुए पक्षकारों की सहमति बिना लोक अदालत में मन मकसूद निर्णय पारित किया है। जो प्रथम दृष्टया ही स्थापित विधिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होकर अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के रूप में संस्थित कर अपीलान्ट व अन्य सभी पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15 जुलाई, 2019 को पेश हो।

मिसल शुमार फैसल हो, आदेश सुनाया गया।

एल0एन0मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर